न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 08 / 2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 33

प्रार्थी :—
गणेशराम पुत्र रामाराम, निवासी—
रामावास कलां, तहसील—जैतारण,
जिला—पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1. ग्राम पंचायत रामावास कलां, पंचायत समिति जैतारण जिला—पाली जरिये सरपंच
2. सुखदेव पुत्र ढगलाराम
3. मांगीलाल पुत्र भूराराम
जातिगण कुमावत, निवासीगण—रामावास कलां, तहसील जैतारण जिला—पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 19.04.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा संकल्प संख्या 3 व 4 दिनांक 21.09.2004, मिशल संख्या 12 / 2004—05 की पालना में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 21.09.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्ता बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा 28 दिनांक 21.09.2004 बनाप 22 बाई 16 फीट का जारी किया गया जिसके पड़ोस इस प्रकार है :— उत्तर में पानी की प्याऊ, दक्षिण में रूपाराम शंकरलाल पुत्रगण मांगीलाल, पूर्व में पानी की टंकी परिसर, पश्चिम में जैतारण से लौटोती सड़क स्थित है। उक्त जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 3 मांगीलाल द्वारा जारी किया गया है। जो अप्रार्थी संख्या दो सुखदेव के दादा रतनाराम का भाई है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जिस स्थल का जैर निगरानी पट्टा बनाया गया है वहां वर्ष 2001 में राज्य सरकार की योजना अनुसार ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा प्रस्ताव पारित कर राजकोष से दुकान का निर्माण करवाया गया है जो अप्रार्थी संख्या दो सुखदेव द्वारा किराये पर ली गई थी। जिसका किराया अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत रामावास कलां को अप्रार्थी संख्या 2 सुखदेव द्वारा अदा किया रहा था परन्तु वर्ष 2004 में जैरनिगरानी पट्टा बनाने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 ने किराया देना बंद कर दिया। प्रार्थी ने हाल ही हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वार्डपंच के पद पर निर्वाचित हुआ है उसने उक्त दुकान के किराये बाबत् चर्चा की तो अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी पट्टा बना हुआ होना जाहिर किया। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जाने पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 21.12.2020 को पत्र प्रेषित कर रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। अतः जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने मिलावट कर ग्राम पंचायत की दुकान हड़पने के उद्धेश्य से बाले बाले गलत नाप एवम आकार का बनाया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। उक्त जैर निगरानी पट्टे पर राजकोष के खर्च से पक्की दुकान बनी हुई है जो ग्राम पंचायत रामावास कलां की

जिला कलेक्टर, पाली

सम्पति है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। उक्त जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या तीन मांगीलाल द्वारा जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 2 के दादा रतनाराम का भाई है। अतः जैर निगरानी पट्टा मिलावट कर जारी किया गया है मांगीलाल द्वारा एक अन्य पट्टा संख्या 5 बिना तारीख, बिना प्रस्ताव, बिना मिसल के अपने पुत्रों रूपाराम व शंकरलाल के पक्ष में जैरनिगरानी पट्टे के उत्तर में चिपते सार्वजनिक प्याऊ की भूमि पर जारी किया गया है जो कूटरचित व फर्जी है। जिसकी पृथक से निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टे में दर्शायी गयी भूमि का फर्जी व कूटरचित पट्टा बनाने पर आपति जाहिर करने पर पूर्व सरपंच अप्रार्थी संख्या तीन मांगीलाल, उसके पुत्र रूपाराम व शंकरलाल तथा अप्रार्थी संख्या दो सुखदेव व उसके पिता ढगलाराम तथा बगदाराम पुत्र कानाराम, चम्पालाल पुत्र पेमाराम द्वारा जाहिर किया गया कि उनके पास जैर निगरानी पट्टे की भूमि सहित आसपास की लगभग 109 बाई 344 फीट अर्थात 37496 वर्गफीट का पट्टा रतनाराम पुत्र भूराराम के नाम का बना हुआ है जो पट्टा संख्या 28 दिनांक 10.10.1981 को तत्समय ग्राम पंचायत लौटोती द्वारा जारीसदा है। अतः अप्रार्थी संख्या दो व तीन को जैरनिगरानी पट्टा बना होने की जानकारी थी फिर भी ग्राम पंचायत की दुकान बनाते समय कोई आपति क्यों नहीं की गई। तथा भूमि का पूर्व में पट्टा बना हुआ हो तो पश्चातवृती पट्टा क्यों बनाया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा कूटरचित व फर्जी है। अतः पट्टे पर पट्टा जारी किया जाने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में उल्लेखित विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है न तो पट्टे हेतु कोई आवेदन किया गया, न किसी प्रकार मौका निरीक्षण, आपति नोटिस, बयान गवाहान, आदेश व निर्णय के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई न प्रतिफल राशि अदा करने अथवा जमा करने का कोई प्रमाण है जैर निगरानी पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे सहित रतनाराम पुत्र भूराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 10.10.1981 व रूपाराम व शंकरलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5 के फर्जी होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो व तीन सहित ढगलाराम, रूपाराम, शंकरलाल, बगदाराम, चम्पालाल द्वारा एकराय होकर प्रार्थी के रास्ते की भूमि सहित अन्य सार्वजनिक भूमि, प्याउ, दुकान हडपने, पट्टीया रोपकर तारबन्दी कर जबरन अवैध कब्जा करने एवं धोखाधड़ी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पुलिस थाना जैतारण व पुलिस अधीक्षक महोदय, पाली को पेश की है जो मुकदमा अनुसंधान के अधीन है। अतः जैर निगरानी अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत लौटोती से ग्राम पंचायत रामावास कलां बनी तभी रेकर्ड अस्त व्यस्त हुआ होगा। प्रार्थी केवल इकरारनामें के आधार पर अपना अधिकार बता रहे है तथा पट्टे को कूटरचित बता रहे है यदि जैर निगरानी पट्टा कूटरचित है तो पुलिस द्वारा अनुसंधान से साबित होगा। अत निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी जैर निगरानी आराजी को गोविन्दसिंह की पुश्तैनी भूमि बता रहे है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया उसका फायदा उठा रहे है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थी की ओर से दिनांक 3.8.2018 को निष्पादित तथाकथित बेवान इकरारनामा के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो विधिनुसार सम्यक रूप से मुन्द्रांकित एवं पंजिकृत नहीं है अतः उसे विधिनुसार इम्पाउण्ड कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित करावे तथा जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। निगरानी में मुख्य बिन्दु यह है कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 3 मांगीलाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जिस स्थल का जैर निगरानी पट्टा बनाया गया है वहां वर्ष 2001 में राज्य सरकार की योजना अनुसार ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा प्रस्ताव पारित कर राजकोष से दुकान का निर्माण करवाया गया है जो अप्रार्थी

जिला कलक्टर, पाली

संख्या दो सुखदेव द्वारा किराये पर ली गई थी। जिसका किराया अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत रामावास कलां को अप्रार्थी संख्या 2 सुखदेव द्वारा अदा किया जा रहा था परन्तु वर्ष 2004 में जैर निगरानी पट्टा बनाने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 ने किराया देना बंद कर दिया एवं जैर निगरानी पट्टे पर राजकोष के खर्च से पक्की दुकान बनी हुई है जो ग्राम पंचायत रामावास कलां की सम्पति है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई रेकर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि जैर निगरानी पट्टे पर राजकोष के खर्च से पक्की दुकान बनी हुई है तथा न ही अप्रार्थी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड / दस्तावेज पेश किए है। जैर निगरानी पट्टा दिनांक 21.9.2004 को जारी किया गया था तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा गंभीर अनियमितताएं उल्लेखित की गई है तथा पंचायत द्वारा वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाना भी बताया गया है। अतः हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की सत्यता / प्रमाणिकता के संबंध में पंचायत राज नियम 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित(Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 18 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली